International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628; Print ISSN: 2664-861X; Impact Factor: RJIF 5.44
Received: 24-11-2020; Accepted: 09-12-2020; Published: 24-12-2020
Volume 2; Issue 2; 2020; Page No. 77-79

भारत में ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में सामाजिक अंकेक्षण की उपादेयता

हिम्मताराम
असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ा, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
भारतीय समाज का मूल चरित्र वस्तुत : ग्रामीण है, देश की जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गॉवों में रहती है, लेकिन भारतीय गॉव अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समस्यायों से ग्रस्त है, इन समस्यायों के परिणामस्वरूप गॉवों की दशा बड़ी दयनीय है। जबकि गॉवों की प्रगति और विकास पर ही बहुत हद तक भारत का भविष्य निर्भर है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए प्रयास प्रारम्भ किये गए, जिनका उद्देश्य गॉवों को राष्ट्रीय प्रगति में भागीदार बनाना है ।
यह सिद्ध हो चुका है कि ग्रामीण विकास योजनाएँ ने देश में राजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । सामाजिक अंकेक्षण इनके लाभों को और अधिक व्यापक रूप से जन–जन तक पहुँचाने में सहायता कर रहा है, समय की मांग है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की चुनौतियों का समाधान खोजने हेतु देश के थिंक टैंक का प्रयोग किया जाए एंव भविष्य हेतु रणनीति निर्धारित की जाए।

मूलशब्दः समावेशी शासन, जनसुनवाई, इ–गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, जन–भागीदारी, ग्रामीण विकास, सामाजिक अंकेक्षण

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास

भारतीय समाज का मूल चरित्र वस्तुतः ग्रामीण है। देश में लगभग 6 लाख 30 हजार गाँव है, जिनमें आज भी भारतीय जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में बसती हैं। लेकिन भारतीय गाँव अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप गाँवों की दशा बड़ी दयनीय है। आज भी गाँवों में भोजन, वस्त्र, मकान, पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है आज भी कई गाँव इन सुविधाओं की पहुँच से बाहर है। यह एक कटु यथार्थ है कि भारतीय गाँव आज भी बहुत हद तक पिछड़े हुए है, जबकि गाँवों की प्रगति और विकास पर ही बहुत हद तक भारत का भविष्य निर्भर है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तरपर ग्रामीण विकास के लिए प्रयास प्रारम्भ किये गए, जिनका उद्देश्य गाँवों को राष्ट्रीय प्रगति में भागीदार बनाना है।

ग्रामीण विकास के उद्देश्य

- ग्रामीण निर्धनता को समाप्त कर ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना।
- कृषि की पिछड़ी दशा को उन्नत करना और ग्रामीणों को कृषि के आधुनिकतम साधन उपलब्ध करवाना।
- अशिक्षा का निवारण करना और शिक्षा–संस्कृति का प्रसार करना।
- ग्रामीण लोगों को स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना।
- आधारभूत ढाँचे का विकास करना।
- ऋणग्रस्त ग्रामीणों की समस्या को हल करना।
- ग्रामीण कुटीर व्यवसायों का पुनरूत्थान करना।

ग्रामीण विकास में बाधाएँ

- अशिक्षा
- निर्धनता
- जनसंख्या वृद्धि
- यातायात व संचार के साधनों का अभाव
- ग्रामीणों की उदासीनता
- जनजागरूकता का अभाव
- जाति प्रथा
- प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव

सामाजिक अंकेक्षण एक विधिक रूप में अनिवार्य प्रक्रिया है, जहाँ संभावित तथा वास्तविक लाभार्थियों द्वारा किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है तथा इस उद्देश्य हेतु अधिकाधिक दस्तावेज से जमीनी हकीकत की तुलना की जाती है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी योजना अथवा कार्यक्रम की निगरानी तथा मूल्यांकन के कार्यक्रम में सरकार के साथ–साथ जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और इस योजना के क्रियान्वयन के सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का भी आँकलन किया जाता है। वस्तुतः इसके अन्तर्गत जनता, गैर सरकारी संगठन तथा जागरूक जनप्रतिनिधि, सरकार के साथ मिलकर किसी योजना की जमीनी हकीकत का आँकलन करते हैं तथा सार्वजनिक धन के खर्च तथा कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करते हैं, इस प्रकार यह प्रक्रिया सरकारी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने तथा उत्तरदायित्व को मजबूत करने के साथ–साथ समावेशी शासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा

सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब–किताब जाँचना जो कि सुशासन के संदर्भ में एक अच्छी पहल है।

सामाजिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि

भारत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः स्थानीय शासन के संदर्भ में पारदर्शिता लाने एवं जनसहभागिता निभाने के आंदोलन से

लोकप्रियता मिली है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुए जन सुनवाई के प्रयासों से सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता सिद्ध की है।

इस क्षेत्र में अग्रणी स्वैच्छिक संस्था 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' द्वारा सर्वप्रथम 7 दिसम्बर 1994 को राजस्थान के रायपुर (पाली) में सरकारी कार्यों एवं उनके व्यय की सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार ने 1996 में पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत विकास कार्यों के दस्तावेज जनता को दिखाने का प्रावधान किया। 3 अप्रैल 2001 को ग्राम पंचायत जनावद (राजसमंद) के विकास कार्यों के क्रम में हुई चर्चित जन सुनवाई के दौरान 70 लाख रूपये का घोटाला सामने आने से सामाजिक अंकेक्षण की उपयोगिता सिद्ध हो गयी है।

'हमारा पैसा – हमारा हिसाब' नामक आंदोलन बहुत ही प्रभावी व लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इसी क्रम में राजस्थान के अशोक गहलोत के शासन में 2002 में ग्राम पंचायतों में पीले बोर्ड लगवाने अनिवार्य किये जिसमें विगत पांच वर्षों में स्वीकृत एवं क्रियान्वित हुए निर्माण कार्यों का ब्यौरा ग्राम पंचायत भवनों की दिवारों पर पेण्ट से लिखवाये गये। इसी प्रकार 14 दिसम्बर 2002 को 'मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं परिवर्तन संस्था' द्वारा नई दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सुन्दर नगरी में आयोजित हुई जनसुनवाई के द्वारा दिल्ली नगर निगम के नगरीय विकास कार्यों की पोल खोली गई।

'अब आयी परिवर्तन की आंधी' नाम से चर्चित इस जनसुनवाई के पश्चात् महानगरों में भी सामाजिक अंकेक्षण के महत्व को समझा जाने लगा। RTI (Act) 2005, इंटरनेट एवं ई–गवर्नेंस के प्रयासो से लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सुनवाई का अधिकार से सामाजिक अंकेक्षण को अधिक मान्यता मिलने लगी।

भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वह प्रथम राष्ट्रीय कानून है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को विधिवत एवं पूर्ण मनोयोग से स्वीकार किया गया है। पारदर्शिता, जवाबदेयता और विकास को सार्थक सिद्ध करने के लिए इस योजना में सभी मस्टरोल वेबसाइट पर डालकर क्रान्तिकारी शुरूआत की गई। भारत में सरकारी स्तर पर यह ऐसा सर्वप्रथम प्रयास सबसे बड़ा प्रयास था जिसने जवाबदेयता एवं पारदर्शिता के साथ–साथ सामाजिक अंकेक्षण को नई बुलंदियाँ प्रदान की।

सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा का संबंध जन–भागीदारी और जनजागरूकता के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी व जवाबदेय बनाने से है। मनरेगा अधिनियम की धारा–17 में सामाजिक अंकेक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

- सेवा प्रदाता तंत्र को जवाबदेय व पारदर्शी बनाना।
- कार्य योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।
- आम जनता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना।
- लोकतांत्रिक एवं सुशासन के मूल्यों की स्थापना करना।
- जनता को उनकी आवश्यकता एवं शिकायतों को व्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध करवाना।
- ग्राम सभा में सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम संसद के स्वरूप को प्रदान करना।

सामाजिक अंकेक्षण के साधन

- सूचना का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
- लोकसेवा गारंटी अधिनियम
- नागरिक अधिकार पत्र
- ग्राम सभा में खुली सुनवाई
- सूचनापट्ट जैसे राज. में पीला बोर्ड
- वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएँ
- मीडिया द्वारा सूचना का प्रकाशन व प्रसारण
- कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन
- लाभार्थियों से साक्षात्कार
- शोध एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन

आवश्यक तत्व

- लाभर्थियों का पंजीकरण
- जॉब कार्ड का निर्गमन एवं उसमें अधतन प्रविष्टियाँ
- कार्य चाहने वाले आवेदन पत्रों की पावती
- परियोजना का चयन
- कार्यों का क्रियान्वयन एवं देखरेख
- प्रमुख दस्तावेज का संधारण
- पारिश्रमिक भुगतान
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान
- कार्यों का मूल्यांकन
- ग्रामसभा द्वारा अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण

मनरेगा संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् सर्वप्रथम सत्यापन का कार्य किया जाता है जिसमें दस्तावेज, भौतिक एवं मौखिक सत्यापन शामिल है। मनरेगा वेबसाइट में सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्रों के विषय में बताया गया है, पोर्टल से प्रपत्र डाउनलोड करने पर उसमें सामाजिक अंकेक्षण अवधि में हुए कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण, मजदूरों का विवरण, बिल वाउचर आदि की जानकारी उपलब्ध रहती है। ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा ग्राम सामाजिक एनिमेटर के सहयोग से प्रारूप में उपलब्ध जानकारी का सत्यापन, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, मौखिक एवं भौतिक सत्यापन के द्वारा किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण की उपयोगिता

- सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आती है।
- जनता द्वारा स्थानीय शासन से जवाबदेयता की मांग अधिक प्रबल होती है।
- योजना के क्रियान्वयन के निरंतर पर्यवेक्षण एवं फीडबैक से जनता में जनस्वामित्व की भावना का विस्तार होता है।
- सक्रिय भागीदारी से लोग योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते है।
- सामाजिक अंकेक्षण से योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता बढ़ती है।
- योजना के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेयता एवं प्रभावशीलता बढ़ती है।
- योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचता है।
- योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन सरल हो जाता है।
- प्रशासन में भ्रष्टाचार में कमी आती है।

सामाजिक अंकेक्षण में समस्याएँ

- राजनैतिक व प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी
- सामाजिक अंकेक्षण इकाईयाँ की स्वतंत्रता में कमी
- आगे की कार्यवाही नहीं
- जनजागरूकता की कमी
- मूलभूत आँकड़ों के रूप में मान्यता नहीं

सामाजिक अंकेक्षण को सफल बनाने के उपाय

- अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रभावित हितग्राहियों को शामिल किया जाये।
- अंकेक्षण संबंधी उद्देश्य, कार्य, प्रक्रिया एवं लाभ आदि से हितग्राही प्रभावी ढंग से अवगत हो।
- अंकेक्षण प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेह पूर्ण हो।
- अंकेक्षण कार्य में महत्वपूर्ण उपयोगी व्यक्तियों को शामिल किया जाए।
- अंकेक्षण के परिणामों का पूर्णतः क्रियान्वयन हो।

निष्कर्ष

यह सिद्ध हो चुका है कि मनरेगा ने देश में रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक अंकेक्षण इनके लाभों को और अधिक व्यापक रूप से जन जन तक पहुँचाने में सहायता कर रहा है। समय की मांग है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की चुनौतियों का समाधान खोजने हेतु देश के थिंक टैंक का प्रयोग किया जाए एवं भविष्य हेतु रणनीति निर्धारित की जाए।

संदर्भ सूची

1. कटारिया, सुरेन्द्र, ''ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज'', जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 2003.
2. परनामी, नैन्सी, ''राजस्थान में मनरेगा,'' जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2013.
3. बाबेल, बसन्ती लाल, ''पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ,'' जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2014.
4. जोशी, आर. पी. एवं. मंगलानी, रूपा ''भारत में पंचायतीराज,'' जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2010.
5. शर्मा, अशोक, ''भारत में स्थानीय प्रशासन,'' जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 2016.
6. राठौड़, गिरवर सिंह, ''भारत में पंचायतीराज,'' जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 2004.
7. सिंह, एस. के, ''इम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड सोशियल ऑडिट'' नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलपमेंट ऑफ इण्डिया, 2005.
8. आहूजा, राम, ''सामाजिक अंकेक्षण सर्वेक्षण एवं अनुसंधान,'' जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2003.